सं0सं0–5 बजट (1) 20/2022 (Part) 38 सं0(वि0)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 14/10/24

विषय– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 170.449 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 170.449 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) **जीर्णोद्धार कार्य** की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है–

(राशि रु0 में)

कम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला / स्थापना
लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	जिला मत्स्य कार्यालय, भवन सं0 2 के विद्युतिकरण मरम्मति कार्य	5,33,510/–	विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 16.10.2023 को।	राँची
2	एक्वा पार्क कैम्पस, डोरण्डा अवस्थित जिला मत्स्य कार्यालय के अधीन पुराने कार्यालय भवन जिसमें वर्तमान में गो सेवा आयोग का कार्यालय है, में अतिरिक्त जीर्णोद्धार कार्य	23,05,700/–	अधीक्षण अभियंता, छोटानागपुर अंचल, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 07.08 2024 को।	
3	जिला मत्स्य कार्यालय, भवन सं0 2 के पीछे चाहरदीवारी एवं मछली पार्क में टॉयलेट ब्लॉक की मरम्मति कार्य	8,37,700/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–02, राँची द्वारा दिनांक 29.08.2024 को।	
4	Renovation of Guard wall from pond no.2 to Director of Dairy Development Office both side of road and old canteen shed	24,81,300/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–1, राँची द्वारा दिनांक 28.02.2024 को।	मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची
5	जिला मत्स्य कार्यालय के चाहरदीवारी का मरम्मति एवं रंग–रोगन	2,71,500/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, खूंटी द्वारा दिनांक 16.01.2024 को।	खूंटी
6	जिला मत्स्य कार्यालय का जीर्णोद्धार कार्य	23,65,000/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, लातेहार द्वारा दिनांक 29.08.2024 को।	लातेहार
	उप योग:	87,94,710/–		

(ख) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रुप से दी जाती है–

(राशि रु0 में)

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित / प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	जिला मत्स्य कार्यालय में आगंतुकों के लिए टॉयलेट निर्माण, चेकर्ड टाईल्स का कार्य के साथ कम्प्यूटर रुम का सौंदर्यीकरण कार्य	11,75,290/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा दिनांक 28.11.2023 को।	कोडरमा
2	फिश फीड मिल, तेलीपाड़ा में गार्ड रुम निर्माण कार्य	15,70,600/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा दिनांक 22.11.2023 को।	धनबाद
3	फिश फीड मिल, तेलीपाड़ा में एक डीप बोरिंग कार्य	3,51,900/–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद द्वारा दिनांक 04.01.2023 को।	
	योगः	**30,97,790/–**		
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
4	कोलचोकरा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, चक्रधरपुर में मत्स्य बीज हैचरी निर्माण कार्य	51,52,400/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची द्वारा दिनांक 20.02.2024 को।	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
	योगः	**51,52,400/–**		
	उप योगः	**82,50,190/–**		
	कुल योग (क) + (ख):	**1,70,44,900/–**		

3. चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय राज्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.2024 द्वारा ''तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना'' अंतर्गत बजट शीर्ष–2405–मछली पालन में उपबंधित राशि मो0 6310.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 5955.17155 लाख (उनसठ करोड़ पचपन लाख सतरह हजार एक सौ पचपन) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा –

(राशि लाख रु0 में)

(क) माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	राज्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 30.05.2024 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन				
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050010106010317**	20.00	20.00	0.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010106010323**	2358.00	2357.97845	0.00	0.02155
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050010106010329**	15.00	0.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050010106010337**	25.00	25.00	0.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050010106010543**	12.00	12.00	0.00	0.00

6	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार 53S24050010106010544	225.70	115.9825	0.00	109.7175
7	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय 53S24050010106010759	25.00	25.00	0.00	0.00
	उप योग:	2680.70	2555.96095	0.00	124.73905
(ख)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना				
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078906010323	711.00	710.99025	0.00	0.00975
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार 53S24050078906010544	16.60	16.425	0.00	0.175
	उप योग:	727.60	727.41525	0.00	0.18475
(ग)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण 53S24050079606010317	10.00	10.00	0.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079606010323	2508.00	2507.98785	0.00	0.01215
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079606010329	15.00	0.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय 53S24050079606010337	20.00	20.00	0.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ / ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का क्रय 53S24050079606010440	25.00	0.00	0.00	25.00
6	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) 53S24050079606010543	35.00	35.00	0.00	0.00
7	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार 53S24050079606010544	265.70	75.8075	87.9471	101.9454
8	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय 53S24050079606010759	23.00	23.00	0.00	0.00
	उप योग:	2901.70	2671.79535	87.9471	141.95755
	कुल उप योग:	6310.00	5955.17155	87.9471	266.88135

(ख) माँग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय 72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व में स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	शेष बजट उपबंध
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन– विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050010172010545	710.00	0.00	30.9779	679.0221
2	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53S44050079672010545	310.00	0.00	51.5240	258.476
	उप योग :	1020.00	0.00	82.5019	937.4981
	कुल योग (क) + (ख) :	7330.00	5955.17155	170.4490	1204.37945

कुल मो0 170.449 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रु0 मात्र।

कुमार

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी।

6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/धनबाद/चाईबासा एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, खूंटी/लातेहार/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे। कंडिका 2 में अंकित जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्यो के विरुद्ध कंडिका '2' के क्रम सं0–(क)–1 को छोड़कर शेष के लिए वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

कंडिका '2' के क्रम सं0–(क)–1 में उल्लेखित कार्य हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, राँची को पुस्त हस्तांतरण/डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

7. जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युत कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युत कार्यो की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग/विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. स्वीकृत सभी योजनाओं को इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं/विद्युत कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरुप कराने के साथ–साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा निर्माण कार्यो का जाँच प्रतिवेदन एवं कार्यो की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा सी0एस0–01/आर0–04/2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्य शीर्ष–2405 एवं मुख्य शीर्ष–4405 मिलाकर कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 मो0 4650.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 4139.09 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।

16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण/विद्युतिकरण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
19. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
20. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38 रा०(A) रॉची, दिनांक 14/10/24
प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 38 रा०(A) रॉची, दिनांक 14/10/24
प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉची/संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रॉंची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव